रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2373] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2011/अग्रहायण 28, 1933
No. 2373] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2011/AGRAHAYANA 28, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2011

का.आ. 2830(अ).—जबकि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (इसमें इसके पश्चात् परिषद् के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई(एन एंड एस) दिनांक 23-8-2010 में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

जबकि अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

जबकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 मई, 2011 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप-खंड (1) के अंतर्गत परिषद् द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया;

जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप-खंड (2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया;

अत: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 215 (उक्त अधिसूचना), दिनांक 2 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 158 (संशोधित अधिसूचना) द्वारा यथासंशोधित, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा I-VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार है :—

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी. एड.)।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2013 तक के लिए मान्य होगी :

i. परिषद् की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार मध्य प्रदेश सरकार परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

ii. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि उक्त अधिसूचना तथा परिषद् की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान किया जा सके;

iii. नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 25 अगस्त, 2010 की उक्त अधिसूचना समय-समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात् उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

iv. अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए;

v. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद् की समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले ऐसे शिक्षक, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

vi. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

vii. इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी तथा मध्य प्रदेश राज्य को धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी; और

viii. विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2013 के पश्चात् कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए ।

3. परिषद् के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (iii) के अनुसार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति 31 मार्च, 2013 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे :—

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा I-VIII के लिए स्नातक ।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2011

S.O. 2830(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the said Act), has, *vide* notification number F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N & S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the said Act. This notification was amended *vide* notification No. 158 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 2nd August, 2011;

And whereas sub-section (2) of Section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of Section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

And whereas the State Government of Madhya Pradesh *vide* its letter dated the 3rd May, 2011 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of Section 23 of the said Act;

And whereas the Central Government perused the proposal of the State Government of Madhya Pradesh for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of Section 23 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Madhya Pradesh, the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of Section 23 of the said Act *vide* notification number 215, dated the 25th August, 2010 (the said notification), as amended by notification number 158, dated the 2nd August, 2011 (the amended notification) in so far as they relate to classes I to VIII, namely :—

(a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) one-year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period up to the 31st March, 2013, subject to fulfilment of following conditions, namely :—

(i) the State Government of Madhya Pradesh shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said Notification as amended from time to time, of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down by the said notification and the amended notification of the Council;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who passes the minimum qualifications specified in the said notification dated the 25th August, 2010, as amended from time to time and thereafter, consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down in the said notification as amended from time to time of the Council shall acquire the minimum qualifications with the time limit specified under sub-section (2) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the relaxation specified in this notification will be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of Section 23 shall be granted to the State of Madhya Pradesh; and

(viii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2013.

3. The persons possessing the following qualifications shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government of Madhya Pradesh in respect of teacher appointments made in the State up to the 31st March, 2013, in accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the Teacher Eligibility Test Guidelines, issued by the Council *vide* its letter dated the 11th February, 2011, namely :—

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V;

(b) Graduation, for classes I to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE.4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.